दर्ज 26/7/2001

रूप क्रमांक 4
(देखिये नियम 12)

छत्तीसगढ़ शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक सं.रा./जिला दुर्ग/4531

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीयत समिति जी.डी.आर. शिक्षण समिति

रुगंटा निवास जी.ई. रोड़ गंजपारा स्थित है दुर्ग तहसील में दुर्ग

जिला में अपना नाम परिवर्तित कर लिया है और अब वह जी.डी.आर. एज्युकेशनल-सोसायटी

रुगंटा भवन, जी.ई. रोड़ गंजपारा नाम से ~~मध्यप्रदेश~~ छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण दुर्ग अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) की धारा 13 की उप-धारा (2) के अधीन पंजीयित की गई है ।

दिनांक छब्बीस माह जुलाई सन् 2001

(डी. महन्त)
समितियों के अति. रजिस्ट्रार
समितियों के रजिस्ट्रार

सहायक पंजीयक संस्थाएँ रायपुर (छत्तीसगढ़)

GRPRJ—FS/289—12/2000—1,000.

नियमावली (संशोधित)

संशोधन दिनांक 17/3/2004 को स्वीकृत

जावक क्रमांक 325 दिनांक 31/1/05

1. समिति का नाम जी.डी.आर. एज्युकेशनल सोसायटी होगा ।

2. समिति का कार्यालय रूंगटा भवन, जी.ई. रोड़, गंजपारा, तहसील–दुर्ग, जिला दुर्ग (म.प्र.) में स्थित होगा ।

3. समिति का कार्यक्षेत्र संपूर्ण रायपुर संभाग होगा ।

4. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :–
   1. चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करना जैसे मेडीकल चिकित्सा, आर्युवैदिक चिकित्सा, हौमियोपैथिक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग स्कूल एवं प्राकृति एवं योग चिकित्सा, फार्मेसी पाठ्यक्रम एवं अन्य चिकित्सा संबंधी पाठ्यक्रम प्रारंभ के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना ।
   2. स्कूली शिक्षा की स्थापना एवं विकास ।
   3. तकनीकी शिक्षा को आधुनिक विचारधारा के साथ उपलब्ध कराना एवं इसके लिए संस्थाओं की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना ।
   4. उद्यमिता विकास में सहयोग प्रदान करना एवं उद्योगों तथा तकनीकी शिक्षा के सामंजस्य हेतु कार्य कर युवक–युवतियों में स्वरोजगार की भावना जागृत करना ।
   5. तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र–छात्राओं को शोध कार्य हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना ।
   6. ट्रायसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करना ।
   7. उपरोक्त उद्देश्यों या समान उद्देश्यों वाली वाली संस्था को सहयोग प्रदान करना ।

5. **ऋण का भुगतान :–** संस्था द्वारा लिये गए ऋण का भुगतान व्यवस्थापन एवं सदस्यों द्वारा प्राप्त राशि से होगा । रास्ट्रीयकृत बैंक द्वारा लिया गया ऋण सुरक्षित ऋण होगा ।

6. **सदस्यता :–** संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :–

   अ. संरक्षण सदस्य :– संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में 6000/– रू. या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

   ब. आजीवन सदस्य :– जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में 4000/– रू. या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य 2000/– रू. या अधिक देगा, वह संरक्षक सदस्य बन सकेगा ।

   स. साधारण सदस्य :– जो व्यक्ति 100/– रूपये प्रति माह 1200/– रू. प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने चन्दा दिया है । जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

   द. सम्माननीय सदस्य :– सदस्य की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा ।

अध्यक्ष Sourabh Rungta

कोषाध्यक्ष

सचिव

7. सदस्यता की प्राप्ति :– प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा । ऐसा आवेदन पत्र प्रबन्धकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

8. सदस्य योग्यता :– संस्थ का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नांकित योग्यता होना आवश्यक है :–

अ. आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
ब. भारतीय नागरिक हो ।
स. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा ली हो ।
द. पागल न हो या अन्य प्रकार से अयोग्य न हो ।
य. सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

9. सदस्यता की समाप्ति :– संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :–

1. मृत्यु हो जाने पर ।
2. पागल हो जाने पर ।
3. संस्था को देय चन्दे की रकम नियम –5 में बताये अनुसार जमा न करने पर ।
4. त्यागपत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर ।
5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देनी होगी ।

10. सदस्यता का अन्तरण :– सदस्य की मृत्यु के पश्चात् अनुवांशिक रूप से सदस्य के नामिनि या वंशानुगत क्रय में विधवा या बालिग वारिस को सदस्यता स्वमेव हस्तांतरित होगी ।

11. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे :–

1. प्रत्येक सदस्य का नाम पता तथा व्यवसाय।
2. वह तारिख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं. ।
3. वह तारिख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो ।
4. सदस्यों के हस्ताक्षर ।

12. अ. साधारण सभा में नियम–5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे । साधारण सभा आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक जनवरी माह में होगी तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा ।संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किय जावेगा । यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा ।

ब. प्रबंधकारिणी सभा :– प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक 3 माह में होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी ।

अध्यक्ष **कोषाध्यक्ष** **सचिव**

Sourabh Rungta

स. विशेष :— यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जायेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

13. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :—

क. संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।

ख. संस्था के स्थायी निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।

ग. आगामी वर्ष के लिये लेखा परिक्षकों की नियुक्ति करना ।

घ. अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।

च. संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय—व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।

छ. बजट का अनुमोदन करना ।

सहायक पंजीयक

14. प्रबंधकारिणी का गठन :— ट्रस्टीस (यदि कोई हो) समिति के पदेन सदस्य रहेंगे । नियम 5 (अ, ब, स,) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) सह सचिव एवं सदस्य 4

15. प्रबंध समिति का कार्यकाल :— प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक की नयी प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण निम्नानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, प्रबंध करती रहेगी किंतु उक्त अवधि छह माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

16. प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्यः—

अ. जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।

ब. पिछले वर्ष का आय—व्यय का लेखा पूर्णतः परिक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

स. समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

द. कर्मचारियों शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

इ. अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय—समय पर सौंपे जाये ।

च. संस्था की समस्त चल—अचल सम्पत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।

छ. संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जाएगी ।

ज. विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजियक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

झ. समिति के वित्तिय अधिकारः— सम्पत्ति को बंधक रखने एवं ऋण प्राप्त करने हेतु, समिति द्वारा चलाई जा रही संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु, अपने आर्थिक साधनों की अनुपलब्धता की व्यवस्था कार्यकारिणी करेगी ।

17. अ. अध्यक्ष के अधिकार :— अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

अध्यक्ष **कोषाध्यक्ष** **सचिव**

Sourabh Rungta

ब. उपाध्यक्ष के अधिकार :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

स. सचिव (मंत्री) के अधिकार :–

1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना ।
2. समिति का आय–व्यय का लेखा परिक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।
3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरिक्षण करन व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।
4. सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 500/– रू. खर्च करने का अधिकार होगा ।

द. सह सचिव के अधिकारः– सचिव के अनुपस्थिति में सहसचिव कार्य करेगा ।

ध. कोषाध्यक्ष के अधिकार :– समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना

18. बैंक खाता :– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी । धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों में होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 5000/– रहेंगे ।

19. वित्तीय साधनः–

अ. सदस्यता शुल्क ।

ब. प्रशिक्षणार्थियों / विद्यार्थियों द्वारा व्यवस्थापन फण्ड में अंशदान ।

स. प्रवेश शुल्क, मासिक शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क ।

द. बैंकों/सदस्यों तथा अन्य माध्यमों से संस्था / समिति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अल्पकालीन/ दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करना ।

20. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :– अधिनियम की धारा 26/27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भितर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 27 एवं 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी ।

21. संशोधन :– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा ।

22. विघटनः– संस्था का विघटन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 3/5 मतों से पारित किया जावेगा । विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी । उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

अध्यक्ष Sourabh Rungta

कोषाध्यक्ष

सचिव

23. सम्पत्ति :— संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी ।

24. बैंक खाता :— संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्टऑफिस में खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

25. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :— संस्था की नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

26. विवाद :— संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा यदि इस निश्चिय या निर्णय से पक्षों को सन्तोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे । रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध–समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

संस्था में अनियमितता हो जाने पर या सदस्यों द्वारा कार्य में बाधा उत्पन्न किये जाने पर रजिस्ट्रार को यह अधिकार होगा कि या तो कार्यकारिणी को भंग कर सकता है या शासकीय अधिकारी की नियुक्ति प्रशासक के रूप में कर सकता है ।

प्रशासक संस्था के कार्य संचालन में सहायता करेगा एवं उचित स्थिति निर्माण हो जाने पर साधारण–सभा की बैठक आयोजित कर उनके पदाधिकारियों को विधिवत् निर्वाचन कराने के लिए उत्तरदायी होगा । इस व्यवस्था में प्रशासक के वेतन आदि पर होने वाला व्यय संस्था को वहन करना होगा । प्रशासक की कार्य अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अध्यक्ष **कोषाध्यक्ष** **सचिव**

Sourabh Rungta

"सत्य प्रतिलिपि"

(डी० डी० महन्त) 20/1/05
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाऐं रायपुर संभाग
रायपुर (छ.ग.)

मुख्यालय क्र. 282549

कार्यालय-सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं
ओ-5, अनुपम नगर, रायपुर संभाग, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/ दुर्ग-955/5789/05 रायपुर, दिनांक : 17/2/06

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

.....
जी.डी.आर.एजुकेशनल सोसायटी
स्मृति भवन जी.ई. रोड, गंजपारा, दुर्ग

सहायक पंजीयक फर्म्स, रायपुर संभाग

विषय :- अधिनियम की धारा-27 के अधीन अनुमोदित भूली के संबंध में।

संदर्भ :- आपकी ओर से प्राप्त जानकारी/पत्र दिनांक 10-2-2006

=====0=====

संस्था जी.डी.आर.एजुकेशनल सोसायटी, दुर्ग

जो कि मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के तहत पंजीयन क्रमांक 4531 दिनांक 26-12-97 द्वारा पंजीकृत है, जिस पर उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधान प्रभावशील होते हैं।

संस्था द्वारा दिनांक 28-1-2006 को आयोजित वार्षिक/विशेष साधारण सभा की जानकारी अधिनियम की धारा-27 के अधीन नियत प्रपत्र पर इस कार्यालय में दिनांक 10-2-2006 को फार्यलिंग शुल्क रू. 400/- चालान क्रमांक 13/22 दिनांक ..... के साथ प्रस्तुत किया गया है, साथ ही पूर्वकारिणी समिति की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु रू. 40/-/- चालान क्रमांक 13/21 दिनांक 3-2-2006 द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है।

संस्था द्वारा प्रस्तुत जानकारी धारा-27 के अधीन दिनांक 17-2-2006 को रिकार्ड पर लिया गया है। इसमें कार्यकारिणी समिति/सदस्यों के निम्नानुसार नामों का उल्लेख किया गया है -

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1-	श्री सौरभ स्मृति	अध्यक्ष
2-	श्रीमती रजनी देवी स्मृति	उपाध्यक्ष
3-	श्री सोनल स्मृति	सचिव
4-	श्री नरेन्द्र चोपड़ा	सह सचिव
5-	श्रीमती शकुन्तला देवी स्मृति	कोषाध्यक्ष
6-	श्रीमती शीशबाला अग्रवाल	सदस्य
7-	श्रीमती तृप्ति स्मृति	सदस्य

अतः एतद् द्वारा आज दिनांक 17-2-2006 को प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की जाती है।

दूरभाष क्र. 282540

कार्यालय-सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं
ओ-5, अनुपम नगर, रायपुर सभाग, रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक/1157/ /

रायपुर, दिनांक : 30/7/02

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

~~जी.डी. आर. एजुकेशन सोसायटी~~
~~रंगोटा भवन जैन्ड्स रोड जैन पारा~~
~~रा.~~

विषय :- अधिनियम की धारा-27 के अधीन अनुमोदित सूची के सम्बंध में

सन्दर्भ :- आपकी ओर से प्राप्त जानकारी/पत्र दिनांक 25/7/2002

=====0=====

संस्था A.G.D. आर. एजुकेशन सोसायटी रा.

जो कि मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के तहत पंजीयन क्रमांक 4531 दिनांक 26/12/97 द्वारा पंजीकृत है, जिस पर उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधान प्रभावशील होते हैं।

संस्था द्वारा दिनांक 15/6/2002 को आयोजित वार्षिक/विशेष साधारण सभा की जानकारी अधिनियम की धारा-27 के अधीन, नियत प्रपत्र पर इस कार्यालय में दिनांक 25/7/2002 को फायलिंग शुल्क रू. 200/- चालान क्रमांक 15/65 दिनांक 24/7/2002 के साथ प्रस्तुत किया गया है, साथ ही प्रबंधकारिणी समिति को प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु रू. 40/-/- चालान क्रमांक 5/136 दिनांक 26/7/2002 द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है।

संस्था द्वारा प्रस्तुत जानकारी धारा-27 के अधीन दिनांक 30/7/2002 को रिकार्ड पर लिया गया है। इसमें कार्यकारिणी समिति/सदस्यों के निम्नानुसार नामों का उल्लेख किया गया है -

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1-	श्री सोरश रंगोटा	अध्यक्ष
2-	श्रीमती रजनी देवी रंगोटा	उपाध्यक्ष
3-	श्री सोनल रंगोटा	सचिव
4-	श्री मनोज चोपड़ा	कोषाध्यक्ष
5-	श्री अनिल अग्रवाल	सह-सचिव
6-	श्रीमती शशि बाला अग्रवाल	सदस्य
7-	श्री कैलाश रंगोटा	सदस्य

अतः एतद् द्वारा आज दिनांक 30/7/2002 को प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की जाती है।

10 Rs.

सहायक पंजीयक
संस्थाएं रायपुर संभाग

श्री डी. डी. महानंद एडवोकेट को सचिव
फर्म नं. 45 का निरंक 26/12/97 की वार्षिक सूची के साथ
संलग्न है।

Cancelled

(D. D. Mahant)
ASSTT. REGISTRAR
FIRMS & SOCIETIES
RAIPUR DIVISION
RAIPUR

2362

26 JUL 2002

क्रमांक ..... दिनांक ..... संख्या ..... कीमती .....

ना ..... सकिन ..... जिला .....

मार्फत .....

निष्पादक .....

दावेदार .....

वास्ते ..... क्रीमत .....

हस्ताक्षर स्टाम्प क्रेता

अनिल स्वर्णकार
स्टाम्प विक्रेता
सिविल कोर्ट दुर्ग (छ.ग.)

DISTRICT TREASURY
DURG
15 JUL 2002
Assistant Treasury Officer
DURG